न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 05 सन 2026

अनवान :–

1. मुकेश पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी भावलदेससर तहसील नोहर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–अप्रार्थीगण

2. अशोक कुमार पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र धारा 128 व 131 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/05/26

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 163/141 के खसरा नं. 382/1, 449/1 व 533/449 के कुल खसरे 3 की कुल 10.2464 है० भूमि सायल व तरतीवी गैरसायल के मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल के पड़ोसी काश्तकारों ने सायल की खातेदारी कृषि भूमि की सींव डोल तोड़कर सायल की भूमि में नाजायज रूप से काश्त करते चले आ रहे है तथा नाजायज रूप से काबिज होने की फिराक में है। सायल रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 163/141 के खसरा नं. 382/1, 449/1 व 533/449 के कुल खसरे 3 की कुल 10.2464 है० भूमि की पैमाईश करवाकर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढ़ी कायम) करवाना चाहता है। श्रीमान् तहसीलदार नोहर तहसील नोहर के आदेश क्रमांक 2025/29278/1 दिनांक 15.05.2025 की अनुपालना में राजस्व पटवारी पटवार मण्डल धानसिया तहसील नोहर ने रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खसरा नं. 382/1 की भूमि मे सीमा ज्ञान करवाने के लिए जरीब चलाकर आस–पास के खेतों की मेड़ को आधार मानकर उपस्थित काश्तकारों के समक्ष सीमांकन करवाया गया उपस्थित काश्तकारों को फर्द मौका पढ़कर सुनाया व उनके हस्ताक्षर / अंगूठा दर्ज करवाये गये।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि सायल व तरतीवी गैरसायल की भूमि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 163/141 के खसरा नं. 382/1, 449/1 व 533/449 के कुल खसरे 3 की कुल 10.2464 है0 भूमि की पैमाईश करवाई जाकर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढ़ी) कायम करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की वो प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवा देवे जिस पर अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी स0 1 की ओर से पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी स0 1 का जवाब पेश होने पर प्रार्थी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो की शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी की उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 163/141 के खसरा नं. 382/1, 449/1 व 533/449 के कुल खसरे 3 की कुल 10.2464 है० भूमि सायल व तरतीवी गैरसायल के मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान/प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी भूमि की नियमानुसार पैमाईश की जाकर फर्द मौका तैयार किया गया जाकर मौतबिरान के समक्ष पढ़ा जाकर बनाया गया था सायलान उसी के अनुसार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है सायलान का कथन सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा की गई पैमाईश की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिससे सायलान के कथनों की पुष्टि होती है।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त अपने हक हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है उपरोक्त विवेचनानुसार सायलान का प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश उपरान्त पत्थरगढ़ी का पाया जाता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि प्राथी की भूमि धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 163/141 के खसरा नं. 382/1, 449/1 व 533/449 के कुल खसरे 3 की कुल 10.2464 है० भूमि सायल व तरतीवी गैरसायल के मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है, की नियमानुसार सभी पक्षकारान/प्रार्थी की भूमि की चिपते पड़ौसी काश्तकारों की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित पैमाईश समय पर किया जाना सुनिश्चित करे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को भिजवाया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/05/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर